Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. HPM/1/2018/MATE1/SEPROM/RU-III

Date: 16.12.2019

To,

The Secretary,
Department of Atomic Energy,
Anushkti Bhavan, C.S.M. Marg,
Mumbai - 400001

Sub: **Minutes of sitting taken by Hon'ble Member of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 14.11.2019** in the matter Representation dated 02.11.2018 of Shri H.P. Meena, Heavy Water Plant, Kota(Rajasthan) regarding (1) Re-Designation to the post of SA/B from initial of appointment i.e. 16.06.1992 (2) and promotion to the post of scientific officer/C, since August 1997.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the sitting taken by Shri Hari Krishan Damor, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.11.2019 at 11.30 p.m. for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 30 days.

Encl:As above.

Yours faithfully,

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information:

1. Shri H.P.Meena,
   TO/D, PC&AL,
   Heavy Water Plant, Kota, Rajasthan
2. PS to Hon'ble Member (HKD), NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- HPM/1/2018/MATE1/SEPROM/RU-III)

श्री एच. पी मीणा, भारी जल संयंत्र, कोटा (राजस्थान) द्वारा (1) नियुक्ति तिथि 16.06.1992 से एस.ए/बी (SA/B) के पद पर पुनर्पदास्थापन (Re-designation) और (2) वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर अगस्त 1997 से पदोन्नति देने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य महोदय श्री हरिकृष्ण डामोर की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 14.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री एच. पी मीणा, भारी जल संयंत्र, कोटा (राजस्थान) द्वारा (1) नियुक्ति तिथि 16.06.1992 से एस.ए/बी (SA/B) के पद पर पुनर्पदास्थापन और (2) वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर अगस्त 1997 से पदोन्नति देने के विषय में आयोग को आवेदन दिया था। आयोग में दिनांक 14.11.2019 को बैठक आहूत की गई थी। इस संबंध में दिनांक 16.10.2019 को सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को बैठक का नोटिस जारी किया गया था।
2. दिनांक 14.11.2019 को आहूत बैठक में परमाणु ऊर्जा विभाग के श्री मर्विन एलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव और श्री सैमसन वर्गीज, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए।
3. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति एस.ए/ए (SA/A) के पद पर दिनांक 07.06.1992 को हुई थी लेकिन विभाग द्वारा दिनांक 01.02.1992 को पद समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अगला पद एस.ए/बी (SA/B) का था। दोनों पदों के लिए वांछित योग्यता समान थी। यदि विभाग द्वारा एस.ए/ए (SA/A) पद समाप्त कर दिया गया था तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति एस.ए/बी (SA/B) के पद पर करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए था। इस तरह के अन्य मामले में विभाग द्वारा कोटा व अन्य संयंत्रों को मिलाकर लगभग 70 कर्मियों को दिनांक 01.02.1992 से तथा जो इसके बाद नियुक्त हुए उन्हें उनकी नियुक्ति तिथि से अगले पद पर पुनर्पदास्थापित (Re-designate) किया गया है जबकि उनके द्वारा आवेदन देने पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

4. परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि वर्ष 1991 में विभाग द्वारा एस.ए/ए (SA/A) के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। भारी जल बोर्ड, कोटा में अनुसूचित जनजाति का एक रिक्त पद था जिस पर श्री मीणा नियुक्त हुए। विज्ञापन के अनुसार ही एस.ए/ए (SA/A) के पद पर श्री मीणा नियुक्ति की गई। श्री मीणा के द्वारा जिन कर्मियों के पुनर्पदास्थापन का संदर्भ दिया जा रहा है उस मामले में न्यायालय के आदेश पर पुनर्पदास्थापन किया गया है। विभाग द्वारा इस मामले में अपील की गई है। नियुक्ति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रशासकीय निकाय है तथा विभाग उसके निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है।
5. अभ्यावेदक ने बताया कि जब एस.ए/ए (SA/A) के पद को समाप्त कर दिया गया तो उन्हें अगला पद मिलना चाहिए।
6. भारी जल बोर्ड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1991 में एस.ए/ए (SA/A) के पद के लिए विज्ञापन निकला था जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद था। अगर वह विज्ञापन गलत था तब तो उस नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए था। अगले पद के लिए भी वेतनमान समान था इसलिए विभाग द्वारा नियुक्ति की गई। यह काफी पुराना मामला है।
7. अभ्यावेदक ने बताया कि उन्हें वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर अगस्त 1997 से पदोन्नति मिलना चाहिए लेकिन वर्ष 2008 में विभाग ने निम्न श्रेणी के लिए अनुशंसा कर दी। वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर पदोन्नति के लिए उनके द्वारा AIC का प्रमाण पत्र जमा किया गया। विभाग से उन्होंने परीक्षा के लिए अनुमति ली थी, सब विभाग की जानकारी में हो रहा था लेकिन विभाग द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया। वर्ष 2007 में विभाग द्वारा कहा गया कि उनके प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाएगा इसके 1 वर्ष बाद विभाग ने कहा कि प्रमाण पत्र लेकर आएं तब विचार किया जाएगा। इसका पत्र भी उन्हें निर्धारित समय समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ।
8. भारी जल बोर्ड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि श्री मीणा ने वर्ष 2007 में दो योग्यताएं पूरी कीं एक AIC का और दूसरा M.Sc. की। AIC के डिप्लोमा को M.Sc. के समतुल्य माना जाता है। एक समय में दो डिग्री पूरा करने पर विभाग द्वारा सत्यापन का निर्णय लिया गया। जब इनसे पास होने का प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया तो उनके द्वारा वर्ष 2009 में जमा किया गया। वर्ष 2009 में विभाग का नियम बदल गया अब AIC के प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। श्री मीणा को तकनीकी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के रूप में पदोन्नति दी गई है। श्री मीणा का कहना है कि AIC के प्रमाण पत्र का सत्यापन क्यों

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किया गया। वर्ष 2009 के बाद से अब AIC के प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. अभ्यावेदक ने कहा कि वर्ष 2011 में उन्हें Scientific Assistant से वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर रूपांतरण (Conversion) किया गया है। अगर वर्ष 2007 में उन्हें वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर मिलती तो वर्ष 2011 में उन्हें वैज्ञानिक अधिकारी/डी (Scientific Officer/D) का पद प्राप्त होता और अब वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (Scientific Officer/F) के लिए साक्षात्कार देते।
10. भारी जल बोर्ड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि श्री मीणा के मामले में अगर विभाग से कोई गलती हुई है तो विभाग उसकी समीक्षा करेगा।
11. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की -
    - परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा श्री एच. पी. मीणा के प्रकरण में पदोन्नति देने के संबंध में उनके योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र पर विचार किया जाए।
    - विभाग द्वारा श्री मीणा के साथ ही एस.ए/ए (SA/A) के पद पर नियुक्त अन्य 70 कर्मियों को जिस प्रकार से पुनर्पदास्थापित किया गया है उस प्रकार से इन्हें भी पदोन्नति दी जाए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- HPM/1/2018/MATE1/SEPROM/RU-III)

श्री एच. पी मीणा, भारी जल संयंत्र, कोटा (राजस्थान) द्वारा (1) नियुक्ति तिथि 16.06.1992 से एस.ए/बी (SA/B) के पद पर पुनर्पदास्थापन और (2) वैज्ञानिक अधिकारी/सी (Scientific Officer/C) के पद पर अगस्त 1997 से पदोन्नति देने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य महोदय श्री हरिकृष्ण डामोर की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	श्री हरिकृष्ण डामोर,	माननीय सदस्य
(2.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(3.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारी**

(1.)	श्री मर्विन एलेक्जेंडर,	संयुक्त सचिव
(2.)	श्री सैमसन वर्गीज,	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री एच. पी मीणा